

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 67ए/16

संस्थापन दिनांक:-12/09/08

फाईलिंग नं. 233504000012008

1. सुगन्ती पति अपमन भोयर, उम्र 65 वर्ष
खापा खतेड़ा तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. कस्तुरी पति बिहारी भोयर, उम्र 58 वर्ष
निवासी बस स्टेंड आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... **वादीगण**

वि रु द्ध

1. कमलाबाई पति गोड्या भोयर, उम्र 62 वर्ष
निवासी कुंबी मोहल्ला आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. नगदूबाई पति मगकर भोयर, उम्र 60 वर्ष
निवासी नांदपुर आमला,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. भुजलीबाई पति सेवाराम भोयर (मृत)
द्वारा विधिक वारसान
 1. कमलेश पिता श्रीमनकर रहड़वे,
उम्र 40 वर्ष, निवासी नांदपुर,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)

..... **प्रतिवादीगण**

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 23.02.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा ख.नं. 115 रकबा 2.104 हे. स्थित ग्राम खिड़कीकला तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि से संबोधित) पर 1/4-1/4 अंश की स्वत्व घोषणा, बंटवारा, पृथक आधिपत्य एवं प्रतिवादी क्र. 01 द्वारा प्रतिवादी क्र. 03 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 को शून्य घोषित कराये जाने हेतु एवं अंतर्वर्तीय लाभ प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रकरण में विवादित संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01, 02 के पिता सेवाराम की होना स्वीकृत है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष स्वीकृत है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01, 02 का आपस में बहनें होना तथा प्रतिवादी क्र. 03 भुजली का वादी एवं प्रतिवादी क्र. 01, 02 की मां होना स्वीकृत है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्र. 01 कमला का एवं विक्रय उपरांत प्रतिवादी कमलेश के नाम आना, सेवाराम की मृत्यु वर्ष 1980 में होना तथा विचारण के दौरान प्रतिवादी क्र. 03 भुजलीबाई की मृत्यु हो जाना भी स्वीकृत तथ्य है।

3 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 के पिता सेवाराम की थी तथा सेवाराम का स्वर्गवास सन 1980 में निर्वसीयत हुआ। जब तक सेवाराम जीवित थे विवादित संपत्ति की काश्त किया करते थे। उनकी मृत्यु उपरांत सेवाराम की पत्नी भुजली एवं उनकी पुत्रियां शामिलशरीक खेती करते थे। सेवाराम की मृत्यु उपरांत राजस्व अभिलेखों में सेवाराम की चारों पुत्रियों एवं उनकी पत्नी का नाम आया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क्र. 01 से अपने अंश अनुसार वर्ष 2007-08 तक फसलें प्राप्त की जाती थी। वर्ष 2008 में वादीगण ने विवादित जमीन का बंटवारा करने के लिए कहा तब प्रतिवादी कमला ने यह कहा कि उनका जमीन में कोई अंश नहीं है और अब फसल भी नहीं दी जायेगी। संपूर्ण भूमि अकेले मेरे नाम पर दर्ज है। तत्पश्चात वादीगण के द्वारा संशोधन पंजी एवं खसरा पांचसाला की नकलें निकलवायी गयी जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 07.09.1986 को सहमति पत्र के आधार पर सेवाराम की संपूर्ण विवादित भूमि प्रतिवादी क्र. 01 कमला के नाम पर दर्ज हो गयी है।

4 सेवाराम की मृत्यु उपरांत वारसाना नामांतरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम आया था। उक्त नामांतरण को रद्द किये बिना और वादीगण को सुने बिना सहमति पत्र दिनांक 09.04.1980 के आधार पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि सेवाराम ने कभी भी वादीगण की जानकारी में या उनकी सहमति से दिनांक 09.04.1980 को कोई भी वसीयतनामा नहीं बनाया था। वसीयतनामा झूठा एवं फर्जी है जिससे प्रतिवादी क्र. 01 कमला को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु के दो-तीन माह पूर्व सेवाराम गंभीर रूप से बीमार रहता था। उसे वसीयत को निष्पादित कराने की क्षमता भी नहीं थी। साथ ही संशोधन पंजी दिनांक 03.07.1986 भी फर्जी है। विचारण के दौरान प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 तथा प्रतिवादी क्र. 03 (मृतक) ने विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 प्रतिवादी क्र. 04 कमलेश के नाम पर कर दिया है। जबकि प्रतिवादीगण को विक्रय पत्र निष्पादित कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अतः विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 शून्य एवं निष्प्रभावी है। चूंकि विचारण के दौरान वादीगण की मां प्रतिवादी क्र.

03 भुजलीबाई की मृत्यु हो चुकी है। अतः विवादित भूमि पर वादीगण का 1/4-1/4 अंश है। विवादित भूमि का प्रतिवादी क्र. 01 कमला को नामांतरण से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अतः विवादित भूमि पर वादीगण के 1/4-1/4 अंश की घोषणा, बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य एवं विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 को शून्य घोषित कराये जाने एवं वादीगण को उनके अंश अनुसार अंतर्वर्तीय लाभ प्रदाय करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5 प्रतिवादी क्र. 01 से 03 के द्वारा संयुक्त रूप से लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया कि सेवाराम के कोई पुत्र न होने के कारण उसके द्वारा प्रतिवादी क्र. 01 कमला के पति गोंड्या को सेवा सुश्रुषा करने हेतु घर जमाई लाया गया था। तभी से विवादित भूमि की काश्त प्रतिवादी क्र. 01 कमला एवं उसके पति गोंड्या के द्वारा की जाती रही। सेवाराम के द्वारा विवादित भूमि का वसीयतनामा दिनांक 09.04.1980 गवाहों के समक्ष एवं अन्य पुत्रियों एवं पत्नी की सहमति से प्रतिवादी क्र. 01 के नाम पर कर दिया गया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कमला का नाम आया जिसकी जानकारी वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण को थी। वसीयतनामा सेवाराम के द्वारा अपनी इच्छा से लिखवाया गया था जिस पर उसके अंगूठा निशानी है। विवादित भूमि कमला के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी इसलिए कमला के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 प्रतिवादी क्र. 04 के पक्ष में निष्पादित कर उसे कब्जा भी दे दिया गया है और इसकी जानकारी वादीगण को विक्रय के समय से ही है। अतः विक्रय पत्र विधि सम्मत होकर वादीगण पर बंधनकारक है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क्र. 04 के पक्ष में हुए नामांतरण को भी राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी जिस कारण नामांतरण आदेश भी वादीगण पर बंधनकारक है। संशोधन पंजी दिनांक 03.07.1986 पर सहमति पत्र किस आधार पर लेख है इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी अनपढ़ महिला है तथा राजस्व अधिकारियों की किसी भी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए वह जवाबदेह नहीं है। सेवाराम की मृत्यु उपरांत से ही प्रतिवादी क्र. 01 कमला का एकल आधिपत्य एवं स्वत्व विवादित भूमि पर रहा है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि बाह्य होने के कारण सव्यय निरस्त किया जावे।

6 प्रतिवादी क्र. 04 के द्वारा पृथक से लिखित में जवाबदावा पेश कर प्रतिवादी क्र. 01, 02 एवं 03 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के अभिवचनों के अनुरूप यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि वर्ष 1980 से निरंतर प्रतिवादी क्र. 01 कमला के आधिपत्य में थी। उसके नाना सेवाराम के द्वारा उसकी मौसी कमलाबाई को विवादित भूमि की वसीयत की गयी थी। तब से विवादित भूमि पर मात्र प्रतिवादी कमला का स्वत्व एवं आधिपत्य रहा और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज चला आया। उसके द्वारा प्रतिवादी क्र. 01 कमला से विवादित

भूमि क्रय किये जाते समय राजस्व दस्तावेजों में कमला का नाम दर्ज होने की जानकारी उपरांत ही विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 के द्वारा क्रय की गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि से बाहर है तथा वादीगण ने विक्रय पत्र की प्रतिफल राशि चार लाख रुपये पर मूल्यांकन भी नहीं किया है जिससे दावा न्यायालय की अधिकारिता से बाहर एवं पर्याप्त न्यायाशुल्क अदा न करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

7 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या क्या मौजा खिड़कीकला स्थित वादग्रस्त भूमि ख. नं. 115 रकबा 2.104 हे. में वादीगण का 1/5-1/5 कुल 2/5 अंश है ?	
2.	क्या प्रतिवादी क्र. 01 कमलाबाई द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 09.05.1980 अवैध होकर अकृत एवं शून्य है तथा वादी पर बंधनकारी नहीं है ?	
3.	क्या वादीगण वांछित उद्घोषणा के पात्र है ?	
4.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने अंश का विभाजन कराते हुए पृथक-पृथक आधिपत्य पाने के पात्र है ?	
5.	क्या वादीगण वांछित अंतर्वर्तीय लाभ पाने के पात्र है ?	
6.	क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	
7.	क्या वाद इस न्यायालय के श्रवण अधिकारिता में है ?	

8.	क्या वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	
9.	क्या वाद अवधि अंदर है ?	
10.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

वाद प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

8 वादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित संपत्ति पर उनके पिता सेवाराम की मृत्यु उपरांत $1/4-1/4$ अंश है। जबकि प्रतिवादी क्र. 01 कमला ने यह अभिवचन किया है कि उसके पिता सेवाराम ने संपूर्ण विवादित संपत्ति की वसीयत उसके नाम पर कर दी थी। अतः वह विवादित संपत्ति की एकल स्वत्वाधिकारी है तथा वसीयत उपरांत विवादित संपत्ति पर उसका नाम भी आ गया था।

9 वादी साक्षी कस्तूरीबाई (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसे सेवाराम द्वारा वसीयत कर दिये जाने की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके पिता की मृत्यु उपरांत विवादित संपत्ति पर सभी बहनों व मां का नाम आ गया था। वादी साक्षी छोटेलाल (वा.सा.-2) ओमकार (वा.सा.-3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उन्हें सेवाराम द्वारा की गयी वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

10 सेवाराम की मृत्यु वर्ष 1980 में होना अविवादित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संशोधन पंजी वर्ष 1983 के अवलोकन से विवादित संपत्ति पर सेवाराम की मृत्यु उपरांत वादीगण तथा प्रतिवादी क्र. 01 व 02 कमला व नगदू एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण की मां भुजलीबाई के नाम पर दर्ज होना प्रकट होता है तथा दस्तावेज खसरा वर्ष 1991-92 प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से विवादित संपत्ति पर सेवाराम की सभी पुत्रियों एवं पत्नी का नाम दर्ज होना प्रकट होता है।

11 प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा वर्ष 1981-82, 1985-86 (प्रदर्श डी-5) के अवलोकन से विवादित संपत्ति पर सेवाराम का नाम दर्ज होना तथा खसरा वर्ष 1992-93 (प्रदर्श डी-6) पर सेवाराम की पुत्रियों व पत्नी का नाम दर्ज होना तथा खसरा वर्ष 1986-87 (प्रदर्श डी-7) के अवलोकन

से विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी कमला का नाम दर्ज होना प्रकट होता है।

12 विवादित संपत्ति पर एकमात्र प्रतिवादी कमला का नाम वसीयत के आधार पर आना प्रतिवादीगण ने अभिवचनित किया है जिसके संबंध में वसीयतनामा (प्रदर्श डी-10) प्रस्तुत किया गया है। यदि वसीयत का अभाव होता तो सेवाराम की विवादित संपत्ति उसकी मृत्यु उपरांत उसकी पुत्रियों वादीगण सुगंती, कस्तुरी एवं प्रतिवादी क्र. 01 व 02 कमला, नगदूबाई तथा सेवाराम की पत्नी भुजलीबाई को प्राप्त होगी तथा उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भी सेवाराम की मृत्यु उपरांत उसकी पुत्रियों व पत्नी के नाम विवादित संपत्ति आना प्रकट होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वाद लंबन के दौरान **सेवाराम की पत्नी भुजलीबाई की मृत्यु हो चुकी है**। फलतः वसीयत के अभाव में धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी क्र. 01 को विवादित संपत्ति पर 1/4-1/4 अंश प्राप्त होगा।

13 प्रतिवादी क्र. 01 के द्वारा वसीयतनामा (प्रदर्श डी-10) प्रस्तुत किया गया है। अतः वसीयत को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी क्र. 01 कमला पर है। वसीयत के निष्पादन को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की **धारा 63 में बनाये गये हैं**।

14 **"68 Proof of execution of document required by law to be attested :-**

If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence; Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a Will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied.

15 **63 Execution of unprivileged wills.**

Every testator, not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or a mariner at sea, shall execute his will according to the following rules :-

(a) The testator shall sign or shall affix his mark to the will,

or it shall be signed by some other person in his presence and by his direction.

(b) The signature or mark of the testator, or the signature of the person signing for him, shall be so placed that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a will.

(c) The will shall be attested by two or more witnesses, each of whom has seen the testator sign or affix his mark to the will or has seen some other person sign the will, in the presence and by the direction of the testator, or has received from the testator a personal acknowledgement of his signature or mark, or of the signature of such other person; and each of the witnesses shall sign the will in the presence of the testator, but it shall not be necessary that more than one witness be present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary."

16 किसी वसीयतनामे का अनुप्रमाणन किस रीति से किया जायेगा इसे साबित करने हेतु किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Janki Narayan Bhoir Vs Narayan namdeo kadam AIR 2003 SC 761** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं :- *"On a combined reading of Section 63 of the Succession Act with Section 68 of the Evidence act, it appears that a person propounding the Will has got to prove that the Will was duly and validly executed. That cannot be done by simply proving that the signature on the Will was that of the testator but must also prove that attestations were also made properly as required by Clause (c) of Section 63 of the Succession Act. It is true that Section 68 of Evidence Act does not say that both or all the attesting witnesses must be examined. But at least one attesting witness has to be called for proving due execution of the Will as envisaged in Section 63. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a Will. To put in other words, if one attesting witness can prove execution of the Will in terms of Clause (c) of Section 63, viz. attestation by two attesting witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a Will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the Will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in his evidence, satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of Will at least by two witnesses for the simple*

reason that the execution of the Will does not merely mean the signing if it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act."

17 वसीयत (प्रदर्श डी-10) के निष्पादन एवं उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादी ने एक अनुप्रमाणक साक्षी लेखराम टिकारे (प्र.सा.-2) को परीक्षित कराया गया है। लेखराम टिकारे (प्र.सा.-2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसने वसीयतनामे पर 30-35 साल पहले हस्ताक्षर किये थे। वसीयत सेवाराम के घर पर लिखी गयी थी। **वसीयत हरिभाउ टाईप करके लाया और पढ़कर सुनाया था।** उपर्युक्त साक्षी ने पैरा क्र. 05 में यह बताया है कि जब चर्चा चल रही थी तब वह पहुंचा था तो उसे यह जानकारी हुई कि **बंटवारा हो चुका है। फिर उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर किये और उससे कहा कि तुम भी हस्ताक्षर कर दो तो उसने भी हस्ताक्षर कर दिये** तथा उसके हस्ताक्षर करने के पहले द्वारका प्रसाद प्रजापति ने हस्ताक्षर किये तथा बाईयों ने अंगूठे लगाये।

18 पैरा क्र. 05 में ही साक्षी ने यह बताया है कि वसीयत में क्या लिखा था थोड़ा-थोड़ा याद है। **सेवाराम ने अपनी बेटियों को जमीन और मकान का बंटवारा किया था किसको क्या दिया यह उसे ठीक से याद नहीं है। इसी संबंध में जो कागज बना उस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।** साक्षी ने (प्रदर्श डी-10) के अ से अ भाग पर सुझाव दिये जाने पर यह गलत होना बताया है कि उसके हस्ताक्षर नहीं है। पैरा क्र. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि हरिभाउ देखमुख आमला में ही स्टाम्प बेचते थे और अर्जीनिवास भी थे। वसीयत को प्रमाणित करने के लिए यद्यपि एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाया जाना पर्याप्त है परंतु उसे अनुप्रमाणक साबित करना होगा।

19 प्रतिवादी साक्षी लेखराम (प्र.सा.-2) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि सेवाराम ने उसके समक्ष वसीयतनामा पर अंगूठा लगाया था। साथ ही उक्त साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि उसने वसीयत में निष्पादक अर्थात् सेवाराम का अंगूठा चिन्ह का होना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे। जबकि इस साक्षी के कथनों से तो यह प्रकट ही नहीं हो रहा है कि सेवाराम ने उसके समक्ष वसीयतनामा पर अंगूठा निशानी लगाये थे।

20 वसीयत को प्रमाणित करने का दायित्व वसीयत प्रस्तुत करने वाले पर रहता है। अर्थात् उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लगाने के साथ उस दस्तावेज के प्रभाव या प्रकृति को समझते हुए अपने हस्ताक्षर किये थे। साथ ही वसीयत

संदेहास्पद परिस्थितियों से ग्रसित हो वहां पर वसीयत के प्रस्तुतकर्ता पर ऐसी समस्त परिस्थितियों को उन्मोचित करने का सिद्धि भार सामान्य मामलों से अत्यधिक होता है, जब तक की ऐसी परिस्थितियों को संतोषजनक साक्ष्य से स्पष्ट न करा दिया जावे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Balathandayutham vs Ezhilarasan (2010)5 SCC 770** अवलोकनीय है।

21 वसीयतनामा (प्रदर्श डी-10) को संदेहास्पद बनाने वाली परिस्थितियां निम्न है :-

1. वसीयतकर्ता सेवाराम निरक्षर था।
2. वसीयत सेवाराम की मृत्यु वर्ष 1980 में होने के उपरांत वारासना नामांतरण के समय क्यों प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. सेवाराम की मृत्यु वर्ष 1980 में होने के बाद वर्ष 1986 लगभग छह: वर्ष बाद वसीयत प्रस्तुत की गयी। (अवलोकनीय न्याय दृष्टांत **Ramlaw Vs Nathu 2011 (4) MPLJ 203**)
4. अनुप्रमाणक साक्षी लेखराम टिकारे पढ़ा लिखा होकर ग्रेज्युएट है उसके वसीयतनामे पर हिंदी में हस्ताक्षर है जबकि न्यायालय में उसने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये हैं। जबकि उपर्युक्त साक्षी ने वर्ष 1979-80 में ग्रेज्युएशन किया जाना अपने कथनों में बताया है।
5. वसीयतनामे पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया गया लेख है।
6. वसीयतनामा टाईप किया गया है जबकि गवाहों के नाम हस्तलिखित हैं।

22 उपर्युक्त संदेहास्पद परिस्थितियों का कोई भी स्पष्टीकरण प्रतिवादी साक्षीगण के कथनों से प्रकट नहीं होता है। अनुप्रमाणक साक्षी लेखराम (प्र.सा. -2) द्वारा वसीयत का विधिवत निष्पादन व अनुप्रमाणन प्रमाणित नहीं होता है। अन्य अनुप्रमाणक साक्षियों को प्रतिवादी द्वारा आहूत नहीं किया गया है। साथ ही **वसीयतग्रहिता कमला बाई** प्रतिवादी क्र. 01 को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। उपर्युक्त वर्णित न्याय दृष्टांतों के आलोक में एवं साक्ष्य विवेचना उपरांत प्रतिवादी (प्रदर्श डी-10) के वसीयतनामे के निष्पादन एवं अनुप्रमाणन को प्रमाणित करने में विफल रहा है। वसीयतनामा संदेहास्पद परिस्थितियों से ग्रसित है। अतः वह विश्वसनीय नहीं पाया जाता है।

23 वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श प्री-4) संशोधन पंजी वर्ष 1983-1990 के अवलोकन से दिनांक 03.07.1986 को दिनांक 09.04.1980 के सहमति पत्र के अनुसार विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। साथ ही उक्त दस्तावेज पर सेवाराम उपस्थित होना लेख है। साथ ही नीचे तिथि 07.09.1986 लेख है। उपर्युक्त संशोधन पंजी में सेवाराम की उपस्थिति के साथ-साथ यह भी लेख है कि सेवाराम ने अपनी पुत्री कमला को ख.नं. 115 दहेज में शादी के समय देना स्वीकार किया। अतः ख.नं. 115 पर सेवाराम के स्थान पर कमला का नाम दर्ज करे। तब इस प्रकार उपर्युक्त दिनांक 07.09.1986 को सेवाराम की उपस्थिति इस संशोधन पंजी को संदेहास्पद करती है **क्योंकि सेवाराम की मृत्यु वर्ष 1980 में हो चुकी थी।**

24 प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वसयतनामा (प्रदर्श डी-10) विश्वसनीय नहीं पाया गया है। संशोधन पंजी वर्ष 1983-1990 (प्रदर्श प्री-4) जिस आधार पर प्रतिवादी कमला का नाम विवादित संपत्ति पर आया वह भी संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 29.04.1948 (प्रदर्श डी-9) प्रस्तुत किया गया है जो कि सेवाराम एवं प्रतिवादी क्र. 01 कमला के पति गोंड्या के मध्य हुआ था जिसके अनुसार प्रतिवादी क्र. 01 कमला के पति गोंड्या के द्वारा सेवाराम व उसकी पत्नी की सेवा किया जाना तथा सेवाराम द्वारा समस्त संपत्ति अपनी पुत्री कमला को दिये जाने का इकरार किया गया था परंतु इस इकरारनामे पर सेवाराम की अंगूठा निशानी नहीं है मात्र गोंड्या एवं अन्य गवाहों के अंगूठा निशानी हैं। साथ ही प्रतिवादी के द्वारा इसे प्रमाणित भी नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए इकरारनामे को प्रमाणित माने तब ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पुनः से सेवाराम को अपनी समस्त संपत्ति अपनी पुत्री कमला को वसीयत करनी पड़ी थी।

25 विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला का नाम सहमति पत्र/वसीयतनामा/इकरारनामा/सेवाराम द्वारा दहेज में दिया जाना आदि आधार प्रकट हुए हैं। प्रतिवादी क्र. 01 कमला के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि आखिर किस आधार पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला का नाम विवादित भूमि पर आया। अतः ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला के नाम दर्ज होने मात्र से उसके स्वत्व की उपधारणा नहीं की जा सकती है **क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि नामांतरण से कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है।** अतः वसीयत (प्रदर्श डी-10) के प्रमाणित न होने के अभाव में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 का विवादित संपत्ति पर 1/4-1/4 अंश होना प्रमाणित पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 01 इस रूप में निष्कर्षित किया जाता है कि विवादित भूमि पर वादीगण का 1/4-1/4 अंश है।

वाद प्रश्न क्र. 02 एवं 03 का निराकरण

26 प्रतिवादी क्र. 01 कमलाबाई द्वारा प्रतिवादी क्र. 04 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 को निष्पादित किया जाना उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत है। प्रतिवादी क्र. 01 कमला के द्वारा संपूर्ण विवादित संपत्ति का विक्रय कमलेश को किया गया है। वाद प्रश्न क्र. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला का भी $1/4$ अंश है। अतः वह मात्र अपने अंश की सीमा तक विक्रय करने की अधिकारी है। फलतः प्रतिवादी क्र. 01 द्वारा उसके हक की सीमा से अधिक किया गया विक्रय वादीगण व प्रतिवादी क्र. 02 पर बंधनकारी नहीं होगा और न ही उक्त विक्रय से वादीगण के अधिकार प्रभावित होंगे। अतः विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-1) दिनांक 09.05.2008 जहां तक वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 02 के हक के विपरीत है, शून्य व निष्प्रभावी होगा। इस प्रकार वादीगण विवादित संपत्ति पर स्वत्व, घोषणा एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने की उद्घोषणा के पात्र हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 “हाँ” के रूप में निष्कर्षित किए जाते हैं।

वाद प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

27 विवादित संपत्ति पर वादीगण का $1/4-1/4$ अंश होना प्रमाणित पाया गया है। विवादित संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादीगण विवादित भूमि पर अपने अंश का विभाजन कराते हुए पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 04 “हाँ” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 05 का निराकरण

28 वादीगण द्वारा अंतर्वर्तीय लाभ दिलाये जाने का अभिवचन किया गया है। वादीगण द्वारा वर्ष 2008 तक अपने अंश के अनुसार फसल प्राप्त करते रहने का अभिवचन किया गया है परंतु स्पष्ट अभिवचन नहीं है कि अपने अंशानुसार उन्हें कितनी राशि की फसल प्राप्त होती है। तब ऐसी दशा में हानि का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा स्पष्ट अभिवचन एवं साक्ष्य के अभाव में अंतर्वर्तीय लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 05 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 06 का निराकरण

29 वादीगण द्वारा यह दावा स्वत्व, घोषणा, विभाजन एवं पृथक

आधिपत्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी का यह अभिवचन है कि वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 को शून्य घोषित करके जाने की सहायता चाही है परंतु उनकी प्रतिफल राशि चार लाख रुपये पर न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। विक्रय पत्र (प्रदर्श डी-10) में वादीगण पक्षकार नहीं है। विक्रय पत्र वादीगण के हक के विपरीत शून्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण को न तो विक्रय पत्र के आधार पर वाद का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था न ही तदानुसार न्यायालय शुल्क अदा करना आवश्यक है। विवादित संपत्ति का भू-राजस्व तीन रुपये पच्चीस पैसे (प्रदर्श डी-10) से दर्शित है। लगान के 20 गुना के आधार पर भूमि का मूल्य आंकलित होना अर्थात् वाद का मूल्यांकन 65/- रुपये होगा। वाद पत्र में विभाजन व पृथक आधिपत्य की सहायता स्वत्व घोषणा का पारिणामिक अनुतोष है। अतः न्यूनतम 100/- रुपये के अध्याधीन रहते हुए धारा 7(iv)C न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार वाद मूल्य 65/- रुपये पर न्यायालय शुल्क 100/- रुपये देय होगा। जबकि वादीगण द्वारा 508/- रुपये न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वादीगण द्वारा समुचित न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 06 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 07 का निराकरण

30 प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 में प्रतिफल राशि चार लाख रुपये होने से न्यायालय को आर्थिक क्षेत्राधिकार न होने से न्यायालय को श्रवण अधिकारिता नहीं है। चूंकि वादीगण को विक्रय पत्र की प्रतिफल राशि पर वाद मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं होना प्रमाणित पाया गया है। फलतः दावा न्यायालय की श्रवण अधिकारिता में पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 07 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 08 का निराकरण

31 प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि प्रकरण में शासन भी आवश्यक पक्षकार है। अतः पक्षकारों का असंयोजन है। वादीगण द्वारा दावे में सेवाराम की पुत्रियों, पत्नी एवं विवादित संपत्ति के क्रेता को पक्षकार बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार वह होते हैं जो प्रकरण के विवाद को निराकृत करने हेतु आवश्यक है। अतः शासन आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है। फलतः पक्षकारों का असंयोजन होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 08 “नहीं” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 09 का निराकरण

32 वादीगण द्वारा यह वाद घोषणा, विभाजन एवं पृथक आधिपत्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। विवादित संपत्ति का वादीगण विभाजन कराने के पात्र पाये गये हैं। प्रतिवादीगण का यह महत्वपूर्ण तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्र. 01 कमला के नामांतरण को वादीगण द्वारा कभी कोई चुनौती नहीं दी गयी है। स्वयं वादी कस्तुरी ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसे प्रतिवादी क्र. 01 कमला के नाम भूमि होने की जानकारी थी और उसे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। अतः ऐसी स्थिति में दावा परिसीमा से बाधित है। इस संबंध में वादी कस्तुरी (वा.सा.-1) के द्वारा न्यायालय में कथन अवलोकनीय है। वादी कस्तुरी (वा.सा.-1) ने पैरा क्र. 16 में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि विवादित जमीन प्रतिवादी कमला के नाम पर आ गयी है। पैरा क्र. 19 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके पिता सेवाराम की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी कमला ही विवादित भूमि पर काश्त करती थी, उसके बाद अब प्रतिवादी कमलेश काश्त करता है। उपर्युक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि विवादित जमीन से होने वाली कमाई कमला एवं कमलेश कई सालों से खा रहे हैं। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि अभी कुछ नहीं दिया, इतने दिन से लेते चले आते थे। पैरा क्र. 17 में यह बताया है कि उसे जानकारी लग गयी थी कि कमलाबाई के नाम पर जमीन आ गयी है। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि उसे कोई तकलीफ नहीं थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि कमला विवादित भूमि उससे पूछकर बेचती तो उसे नाराजगी नहीं होती। आगे साक्षी ने कहा कि क्यों नहीं होती, क्यों उसके नाम पर कर देते। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि फसल सभी लोग मिलकर खाते थे।

33 वादी साक्षी कस्तुरी (वा.सा.-1) ने विवादित संपत्ति पर प्रतिवादी कमला के द्वारा काश्त किया जाना बताया है परंतु साक्षी ही साक्षी ने यह बताया है कि उसे फसल मिल जाती थी, सभी बहने मिल बांटकर लेती थी। चूंकि प्रतिवादी कमला भूमि पर काश्त करती थी और अन्य बहनों को फसल का हिस्सा मिल जाता था तब ऐसी दशा में हिंदू परिवार के रीति रिवाज अनुसार परिवार के कर्ता के नाम पर भूमि होने से किसी अन्य को आपत्ति न होना स्वाभाविक है। जब विवादित भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विक्रय कर दी गयी और जब वादीगण को अपने अंश अनुसार फसल प्राप्त होना बंद हो गया तब वाद कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वर्ष 2008 से वाद कारण उत्पन्न होना ही उचित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि बंटवारे के वाद के लिए कोई परिसीमा काल निर्धारित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **कृष्णा देवी विरुद्ध रामप्रसाद 2006(3) म.प्र. लॉ.ज. 447** अवलोकनीय है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वाद कारण हेतु मात्र वाद पत्र के अभिवचनों को ही देखा जाता है। वादीगण ने वर्ष 2008 में वाद कारण उत्पन्न होना बताया है तथा

विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 से तीन वर्ष के भीतर स्वत्व घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी दशा में दावा अवधि के अंदर प्रमाणित होना पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 09 “हां” के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 10 का निराकरण

34 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण विवादित भूमि ख.नं. 115 रकबा 2.104 हे. स्थित ग्राम खिड़कीकला, तहसील आमला जिला बैतूल पर 1/4-1/4 अंश होना एवं विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 अपने हित के विपरीत होने की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी होना प्रमाणित करने में तथा अपने अंश अनुसार विवादित भूमि का विभाजन कराने एवं दावा न्यायालय की श्रवण अधिकारिता एवं समयावधि में होना प्रमाणित करने में सफल रहे हैं परंतु वादीगण अंतर्वर्तीय लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

1. वादीगण का विवादित भूमि ख.नं. 115 रकबा 2.104 हे. स्थित ग्राम खिड़कीकला, तहसील आमला जिला बैतूल पर 1/4-1/4 अंश है।
2. विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 वादीगण के हित के विपरीत होने की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी है।
3. वादीगण विवादित भूमि का राजस्व न्यायालय विभाजन कराने के अधिकारी हैं।
4. दावा समयावधि में है।
5. वादीगण अंतर्वर्तीय लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
6. प्रतिवादीगण स्वयं के साथ-साथ वादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

7. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल